प्रतिलिपि आदेश पत्रिका **दिनांक 04.08.2023**

**न्यायालय– प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट बागली, जिला–देवास,(म.प्र.)**

| | |
|---|---|
| जमानत आवेदन क :– **BA 132/2023**<br>फाईलिंग नम्बर :– BA/ 1583/2023<br>CNR :- MP41070018302023<br>थाना :–**बागली** जिला देवास म0प्र0<br>अपराध कमांक :– **370/2023** | **भगवानसिंह पिता रामचन्द्र पंवार, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम अंबाझर, तहसील बागली जिला देवास म.प्र.**<br>. .....आवेदक/अभियुक्त<br>**बनाम**<br>म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र **बागली**, जिला देवास (म0प्र0)<br>..... अभियोगी |

**04.08.2023**

आवेदक/अभियुक्त **भगवानसिंह** की ओर से **श्री प्रवीण यादव** अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री **अशोक यादव** विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदक/अभियुक्त **भगवानसिंह पिता रामचन्द्र** के तथाकथित **द्वितीय नियमित प्रतिभूति** आवेदन अन्तर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 1973 पर तर्क/सुनवाई हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र बागली के अपराध क. 370/2022, अंतर्गत धारा 354, 354–क भा.दं.वि. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 से प्रचलित मूल सत्र प्रकरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय एम.पी. जबलपुर द्वारा **दीपक यादव विरूद्ध म.प्र. राज्य, एम.सी.आर.सी. नम्बर 8227/2023 में पारित आदेश दिनांक– 01.04.2023** के अनुपालन में वांछित विशिष्टियां निम्नानुसार है–

| | |
|---|---|
| घटना दिनांक | दिनांक 17.07.2023 की रात्री 22:30 बजे से 22:40 बजे के मध्य |
| अपराध की सूचना दिनांक | 18.07.2023 समय 14:42 बजे |
| अपराध कमांक एवं आरोपित अपराध | थाना–बागली का अपराध कमांक–370/2023 अंतर्गत धारा :– 354, 354(क), 457 भादवि एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 सहपठित धारा 8 |
| गिरफ्तारी दिनांक | 19.07.2023 |
| अभियोगपत्र प्रस्तुति दिनांक | **अभियोगपत्र प्रस्तुत 02.08.2023** |

आवेदक की ओर से प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र गुणागुण पर सुनवाई न होकर अभियोगपत्र प्रस्तुत होने पर पुनः प्रस्तुत करने की शर्त सहित वापस लेते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से **द्वितीय नियमित जमानत** आवेदन प्रस्तुत किया जाना लेख करते हुए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है न ही निरस्त हुआ है। इस तथ्य के समर्थन के साथ आवेदक के विरूद्ध आरोपित मामले के अलावा अन्य कोई मामला विचाराधीन न होने और उसका कोई पूर्व आपराधिक चरित्र न होने के संबंध में आवेदक के परिवार के लालसिंह पिता रामचन्दर पंवार, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम अम्बाझर, तहसील बागली, जिला–देवास म.प्र. का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त तथ्यों का कोई खण्डन विशेष लोक अभियोजक द्वारा नहीं किया गया है।

उभयपक्ष को नियमित जमानत आवेदन पर सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया कि आवेदक नवयुवक होकर उसका कोई पूर्व आपराधिक चरित्र न होकर वह दिनांक 19.07.2023 से निरोध में है और अन्वेषण पूर्ण होकर अभियोगपत्र पेश हो चुका है व प्रकरण के निराकरण में समय लगना संभावित है। आवेदक के विरूद्ध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय मामला नहीं है।

आवेदक की ओर से अग्रेतर बल पूर्वक यह तर्क किया गया कि अभियोक्त्री एवं आवेदक के मध्य पूर्व की रंजिश होकर आवेदक के भाई लालसिंह के साथ विवाद किया था, उस समय आवेदक द्वारा बीच–बचाव किया गया था तब से बोलचाल बंद है व रंजिश रखते हैं। अभियोक्त्री द्वारा रंजिशन आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक जिला देवास का स्थाई निवासी होकर उसकी समस्त चल अचल संपत्ति भी वही पर स्थित है जिससे उसके भागने अथवा फरार होने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक जमानत की शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। उपरोक्त आधारों पर आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर प्रतिभूति आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन से संबंधित सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2022 के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक पर दिनांक 17.07.2023 की रात्री 10:30 बजे 18 वर्ष से कम आयु की इस मामले की अभियोक्त्री के साथ घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए लज्जा भंग कर लैंगिक हमला करने के संबंध में रिपोर्ट किये जाने पर आरक्षी केन्द्र बागली जिला देवास में अपराध क्र. 370/2023 पर अन्तर्गत धारा 354, 354(क), 457 भा.दं.वि. एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 सह पठित धारा 8 कायम कर विवेचना उपरान्त आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि आवेदक पर कोई पूर्व आपराधिक अभियोग न होकर वह दिनांक 19.07.2023 से न्यायिक निरोध में होकर इस मामले में अभियोगपत्र प्रस्तुत होकर आरोप तर्क हेतु प्रकरण दिनांक 12.08.2023 को नियत है।

आवेदक पर अधिरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय न होकर अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। अभिलेख से दर्शित है कि आवेदक नवयुवक होकर उसका पूर्व आपराधिक वृत नहीं है तथा वह 19.07.2023 से निरोध में है तथा अन्वेषण पूर्ण होकर अभियोगपत्र प्रस्तुत होकर पूछताछ हेतु आवेदक की आवश्यकता न होकर विचारण में समय लगना संभावित है। अभियोक्त्री के मेडिकल परीक्षण में उसके शरीर पर कोई चोट न होना वर्णित होकर कोई अन्य प्रतिकूल परिस्थिति दर्शित नहीं है।

अतएव आवेदक की आयु, निरोध की अवधि, उसका पूर्व आपराधिक चरित्र न होने, अन्वेषण पूर्ण होकर अभियोगपत्र प्रस्तुत होकर विचारण में समय लगने की संभावना के साथ आवेदक की ओर से किये गये तर्कों को विचार में लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 30933/2020 जरीना बेगम विरूद्ध म.प्र. राज्य आदेश दिनांक 13.05.2021 में प्रतिपादित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को आगे ओर निरोध में रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय नियमित जमानत आवेदन** अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.स. **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदक/आरोपी की ओर से विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य 1,00,000/–(एक लाख) रूपये की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र निम्न शर्तो के अधीन प्रस्तुत किया जाए तो उसे जमानत पर मुक्त किया जाए :–

**शर्ते–**

1– आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
2– आवेदक/अभियुक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
3– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।
4– विचारण में विलंब कारित न करते हुए अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।
5– अभियोक्त्री और उसके परिजनों से दूरी बनाये रखकर उससे सम्पर्क स्थापित नहीं करेगा।
6– दं.प्र.सं. की धारा 437(3) में वर्णित सभी शर्तो का पालन करेगा।

किसी भी शर्त के उल्लघंन की दशा में यह आदेश निरस्त किया जा सकेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **<u>अपर्णा भट्ट विरूद्ध म.प्र. राज्य 2021 एस.सी.सी. ऑन लाईन एस.सी. 230</u>** में जारी निर्देशानुसार जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की सूचना अभियोक्त्री सूचित किये जाने हेतु थाना प्रभारी के माध्यम से प्रेषित की जाये। आदेश की एक प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी सी.आई.एस. 3.2 में अंकित कर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

–सही––
नरेन्द्र कुमार गुप्ता
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं
विशेष न्यायाधीश (POCSO ACT)
बागली, जिला देवास (म0प्र0)

प्रतिलिपि :–

**01–** प्रवर्तन लिपिक आदेश की प्रति न्यायालय के मूत्र सत्र प्रकरण के साथ संलग्न करें।

**02. जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की सूचना अभियोक्त्री को सूचित किये जाने हेतु थाना प्रभारी बागली के माध्यम से प्रेषित कि थाना प्रभारी उक्त आदेश की प्रति अभियोक्त्री को आवश्यक रूप से प्रेषित करे।**

––सही––
नरेन्द्र कुमार गुप्ता
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं
विशेष न्यायाधीश (POCSO ACT)
बागली, जिला देवास (म0प्र0)

NARENDRA KUMAR GUPTA

Digitally signed by NARENDRA KUMAR GUPTA
Date: 2023.08.04 17:15:37 +0530